

7/5/2018 प्राथमिक पेशा होने पर

पगावली आज के मजिस्ट्रेट में ली गई।

वकुलाए प्यरीनेन उपा वकील वादी ने प्रपत्र में

शंक्ति किया है कि "शाब्दिक रूप में"

प्रमाण का निस्तारण किया जावे जिससे

दिनांक 9.5.2018 के अलावा 7/5/2018

में किया जावे वकील वादी के प्राथमिक

पत्र पर पगावली के मजिस्ट्रेट साबु भाना

में रेफर की गई। प्रमाण में पूर्व में ही

राजीनामा हो चुका है और साक्ष्य पेश नहीं

करना चाहते हैं साक्ष्य वाद की जाती है

वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद

का निस्तारण कवाना चाहते हैं पगावली

का अवलोकन किता पगावली के अवलोकन

व दातावेजी साक्ष्य से वाद वादीगण साबित

हैं विराटन साक्ष्य आगवरी I सरपंच

तरहीक मूल प्रमाण पत्र नाम का सरपंच

से प्रमाण पत्र पेश किया है। अतः पेश कागजात

के आधार पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण साबित होने लगे

3) Ramydh
4) विमल
5) कागजात
6) Manju
प्रतिवादीगण की पहचान
मेरे द्वारा की गई
23.5.18
वकील साक्ष्य

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील में जारी हुए

~~डिडी किया जाता है पन्च डिडी
काला है जारी है मिम मातुसार हुक्क
जमा होने पर मकल पन्च डिडी जारी
हो पत्रावली चैलल शुमार होकर नखाए
से कम की पत्रावली - 31 मीवल रपुतर हो~~

अध्यक्ष
लोक अदालत
टिब्बी

सदस्य
लोक अदालत
टिब्बी

~~सुब्रह्मण्यम~~

सदस्य
लोक अदालत
टिब्बी